भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 316
दिनांक 24.07.2024 को उत्तर के लिए

वार्षिक रिपोर्टों में विलंब

316. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार ने यह देखा है कि विभिन्न संस्थाओं के लेखापरीक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखे जाने में विलंब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

उत्तर

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): 'भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका' के पैरा 7.2.1 से 7.2.6 में वार्षिक रिपोर्ट और बजट से संबंधित अन्य दस्तावेजों को समय पर तैयार करने के अनुदेशों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले मंत्रालय समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को भी निर्देशों को दोहराता है कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज यथा समय पूर्व तैयार कर लें ताकि उन्हें बजट पर चर्चा के समय सदस्यों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया जा सके। यह मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट आदि के समय पर परिचालन/सभापटल पर रखने के संबंध में 'सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति' के निर्देशों को भी समय-समय पर परिचालित करता है।

****